



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 13918 वर्ष 2026

लक्ष्मण

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार, सती शंकर त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 312/20245, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना- लाइनपार, जिला- फिरोजाबाद के अंतर्गत जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का पूर्व आपराधिक इतिहास है जिसे वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या 24 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। यह कहा गया है कि मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेने के पश्चात, सह-अभियुक्त, नामतः भोला उर्फ कृष्णा को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 20091 वर्ष 2025 में पारित आदेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 29.08.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। तदनुसार, आवेदक भी जमानत का हकदार है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के उपरांत, आवेदक विधि की प्रक्रिया से भाग जाएगा या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा तथा आवेदक दिनांक 08.11.2024 से जेल में निरुद्ध है और निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की संभावना बहुत क्षीण है।

4. तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु उन्होंने अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तर्क का खंडन नहीं किया कि सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पत्रावली का अवलोकन करते हुए तथा आरोपों की प्रकृति, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त मामला पाती हूँ।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक नामतः लक्ष्मण को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र (शपथ पत्र) प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।
 - (ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आवेदक के विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और आवेदक के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन को जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान निचला न्यायालय जमानत निरस्त करने के संबंध में मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. जमानत प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

12 जून, 2026

प्रवेश मिश्रा

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।